

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- पाँवडेरा

प्रकरण संख्या:- २५८

दिनांक:- ३/०१/२५

उनवान

श्री सम्मत पालि  
स्व. श्यामीलाल रावष्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पाँवडेरा भू. अ. नि. पाँवडेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पाँवडेरा प० ह० पाँवडेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या ५५० में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1-	जाति अशुद्ध	सम्मत पालि स्व० श्यामीलाल शर्मा	सम्मत पालि स्व० श्यामीलाल रावष्ट (शेख जमान रावष्ट जमाबन्दी)

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा  
सचिव जयपुर

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री सम्मत पालि स्व० श्यामीलाल रावष्ट।

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

